

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 10.11.2020

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-36 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जग्गी लाल पुत्र मदई नि० लोलपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-460/20, 02. विजय प्रकाश पुत्र रामकुमार नि० लोलपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-462/20, धारा 60 आबकारी अधि०, 03. ब्रह्मदेव निषाद पुत्र फागू निषाद नि० दुल्लाहपुर मल्हानपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 60 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 500 ग्राम नौसादर, 03 किलो यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-463/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

#### 02. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भेली उर्फ शत्रोधन पुत्र राम बदन नि० हरवाहन पुरवा कस्बा व थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-239/20, 02. गंगा राम पुत्र राम धीरज नि० छिटनापुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-240/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. संगम लाल सोनकर पुत्र जियालाल सोनकर नि० पण्डित पुरवा रामपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-399/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र केवल बहादुर सिंह नि० बालपुर जाट थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-461/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 05. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. तेरसभर पुत्र कचनभर नि० रतनपुर मौजा हरदवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-412/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 06. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विष्णु गौतम पुत्र काशीराम नि० मोहल्ला शास्त्री नगर थाना को० नगर गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-816/20, 02. परबदीन सोनकर पुत्र झगरू सोनकर

नि० खैरा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-862/20, 03. ननके पुत्र राधे नि० नेपाल पुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-863/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रामचन्द्र पासो उर्फ डाक्टर पुत्र बुधई नि० कलापुरवा मौजा नरायनपुर कला थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-295/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 09.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक कटराबाजार मय हमराह फोर्स के साथ देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को चहलवा चौराहे के पास से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. प्रभारी निरीक्षक कटराबाजार संतोष कुमार सिंह।
02. उ०नि० कर्मवीर सिंह।
03. का० प्रदीप त्रिपाठी।
04. का० राहुल निषाद।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 10.11.2020

थाना मनकापुर पुलिस ने 15,000/- के इनामिया गैंगेस्टर को अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राजू यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी ग्राम टेडिया पुलिस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0स0 414/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

### बरामदगी

01 अदद तमंचा नाजायज 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

### अपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0—232/20 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज गोण्डा।

2. मु0अ0सं0—233/20 धारा 41,411,379,413,419,420,467,468,471 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज गोण्डा।

3. मु0अ0सं0—801/19 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना को0 नगर गोण्डा।

4. मु0अ0सं0—21/20 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना धानेपुर गोण्डा।

5. मु0अ0स0—414/20 धारा 325 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

### संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में पुरस्कार घोषित/गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना मनकापुर को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभि0 मु0अ0सं0 417/20 धारा 3(1)यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा में वांछित था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तारकर्ता टीम:—

01. उ0नि0 श्री शिवलखन सिंह।

02. का0 विकास उपाध्याय।

03. का0 शत्रुघन गौड़।